उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

मूल क्षेत्राधिकार

दिनांकित : नैनीताल : 05 मार्च, 2013

प्रथम बेल प्रार्थनापत्र नम्बर 295 वर्ष 2013

फौजदारी पक्ष–

1. प्रदीप कुमार पुत्र श्री राजीराम उर्फ दिलीप कुमार,

2. पवनदीप पुत्र बालकरण,

3. गुरूसाहाब पुत्र हरपाल,

सभी निवासीगण ग्राम वागु, थाना बाहावाला,

जिला फजिल्का पंजाब।

.....प्रार्थीगण (जेल में)

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य

..... प्रतिवादी

मुकदमा अपराध संख्या 32 वर्ष 2013

अंतर्गत धारा 147, 323, 452, 363, 504, 506 भा0द0स0

पुलिस थाना ज्वालापुर,

जिला हरिद्वार

———————————————————————————————

माननीय प्रफुल्ल सी. पन्त, जज

श्रीमती अंजली नौलियाल, प्रार्थीगण की ओर से से उपस्थित अधिवक्ता

श्री के. एस. राघव, राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता।

सुना गया।

2. प्रार्थीगण प्रदीप कुमार, पवनदीप एवं गुरूसाहब, जो वर्तमान में पुलिस थाना ज्वालापुर, जिला हरिद्वार में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 32 वर्ष 2013 अंतर्गत धारा 147, 323, 452, 363, 504, 506 भा0द0स0 में जेल में निरुद्ध हैं, ने उन्हें जमानत पर छोड़े जाने की याचना की है।

3. प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट से ही यह स्पष्ट है कि मुख्य आरोपी मयंक गुरेजा है। आगे यह भी कहा गया है कि वर्तमान प्रार्थीगण का अपराध करने का कोई मकसद नहीं है। आगे दलील दी गयी है कि प्रार्थीगणों का कोई आपराधिक इतिहास

नहीं है, उन्हें कोई विशेष भूमिका नहीं सौंपी गयी है।

4. उपरोक्त परिस्थितियों में, मामले की अंतिम योग्यता के बारे में कोई राय व्यक्त किये बिना, इस न्यायालय का विचार है कि आवेदक जमानत के पात्र हैं।

5. तद्नुसार जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण प्रदीप कुमार (पुत्र राजीराम उर्फ दिलीप कुमार), पवनदीप (पुत्र बालकरण) एवं गुरूसाहब (पुत्र हरपाल) को प्रत्येक द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरिद्वार की संतुष्टि के अनुसार धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

(प्रफुल्ल सी. पंत, जज)

05.03.2013